

10/5/16 पन्नावली राजस्थान लोक अदालत केम्प लखौडा में पेश हुई पन्नावली का अवलोकन किया गया। इस अदालत राजा के निर्णय दिनांक 24/5/12 को वाप प्राथमिक डिब्बी की गई थी जिसकी पालना में भू-अधिकार निरीक्षण लखौडा लखनीम विंगेन द्वारा वेंचारा स्कीम के सम्बंध में दिनांक 16/7/12 के रिपोर्ट में शामिल का परीक्षण किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि ग्राम चंडीला के एकांक 119-122, 120 की वेंचारा स्कीम लेंचारा है। तथा खाता नं. 123 में जमाकंडी में हिस्सा 1/24 सेटलमेंट के दौरान खेती कर-धर आ रहा है। जिसका सम्बंधित भू-अधिकार अवलोकन किया गया। मौक कमीशन वेंचारा स्कीम के साथ नक्शा त्रुटि संलग्न अज्ञात रहा। केम्प में उपर अधीनस्थ स्टाफ द्वारा लेंचारा किया जाकर एकांक 492 की लखनीम की जाकर 492/1 एवं 492/2 हिस्सा अंकन करते हुए प्रस्तुत हुआ जो शामिल मिल गया।

वि० वि० शोरी  
वकील

सुदीर्षण  
वकील

दौराने केम्प वादी एवं प्रतिकारियों का ने वेंचारा स्कीम पर कोई विरोध नहीं किया स्कीम स्वीकारे हुए खाता सं 123 के एकांक 668 रकबा 0.09 है, एकांक (व.नं. 670 रकबा 0.09 कुल किला 2 रकबा 0.19 है। मे हिस्सा 1/24 का होने के कारण माना।

अतः आराजी एवम् नं० कंठकारा स्कीम के अनुसार दाया बायी खिलाफ़ प्रतियोगी गण कायल धारा 53, 188 R.T.A के तहत फाइनल डिफ़ी फ़िफ़ आला है। डिफ़ी में शकाला सं० 123 को ख़ोश जाता है। डिफ़ी में शकाला सं० 119, 122, 123 में खंडित खण नथरान में मुताबिक़ कंठकारा स्कीम सं० नं० 492 रकबा 0.15 है० वाडी पुडा पुन मांगी जालि कुम्हार निवासी चंडीला, 492 रकबा 0.10 है० प्रतियोगी हरपारी वेवा करण, हरिसिंह, साख सिंह, नाहर सिंह, शेर सिंह, उर्फ़ लुलू, इन्द्र सिंह, मेव सिंह, भीम सिंह पिसरान करण, मगबानी पुत्री करण हिस्सा 1/9 रामस्वरूप पुन नानगा हिस्सा 4/9, उदयमान, सुल्तान, फि० वने सिंह, किरण वेवा वने सिंह हि० 4/27, बाबू फि० मुला हि० 4/27, रामलाल, राजाराम, मान सिंह फि० जन सिंह, कलवती वेवा जन सिंह 4/27 जालि जाट नि. गाम लक्ष्येश, मु० खाला सं० 119 के एव० नं० 663 रकबा 0.14 है०, 664 रकबा 0.16 है०, 665 रकबा 0.07 है० कुल खिला-3 रकबा 0.37 है० मु० हरपारी वेवा करण, हरिसिंह, साव सिंह, नाहर सिंह, शेर सिंह उर्फ़ लुलू, इन्द्र सिंह, मेव सिंह, भीम सिंह फि० करण, मगबानी पुत्री करण, हिस्सा 1/21, उदयमान, सुल्तान, पिसरान वने सिंह, किरण वेवा वने सिंह 4/21, रामस्वरूप पुन नानगा 4/21, हरशान, सुरशान, श्यामलाल, सम्पतराम फि० महताव हि० 4/63 जालि जाट. एवं शकाला सं० 22 के एव० नं० 666 रकबा 0.07 है०; एव० नं० 667 रकबा 0.07 है० में मु० हरपारी वेवा करण, हरिसिंह, साख सिंह, नाहर सिंह, शेर सिंह उर्फ़ लुलू, इन्द्र सिंह, मेव सिंह, भीम सिंह फि० करण, मगबानी पुत्री करण हि० 1/21, उदयमान, सुल्तान फि० वने सिंह, किरण वेवा वने सिंह 4/21, रामस्वरूप पुन नानगा 4/21 परमाती पुन

हरमुख 20/69.63, दयाब पुत्र मोहर सिंह 4/63  
 हरमान, सुरमान, श्यामलाल, सत्यल पिठ महलाव  
 हिठ 4/2, आदि जाट नि.सा. देह के स्वतंत्र  
 कारतकार घोषित किया जाता है। पर्या  
 डि वि जारी की जावे। निर्णय मय फोइविष  
 डि की की प्रति लहसीलशर हिठान के फिजवा  
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करामद  
 किया जावे। पनावली वाड लकमील नम्बर  
 की कम की जाकर दारखिल दफ्तार हो।

निर्णय खुले इजमे राजस्व लोक अडाल  
 शिबिर लह-चोडा दिनांक 10/05/2016 सुनाया  
 गया।



उप जिला कलेक्टर  
 हिण्डौन सिटी, जिला करौली

नि. इन्द्र प्रकाश  
 प्रमाणिका 5